अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0ए0 वाद सं0–20/2011–12

जयावाला साहा, पति–स्व0 गोपीनाथ मंडल, ग्राम–चोरकट्टा, थाना–दुमका मु0, जिला–दुमका–**बनाम्**–दिनेश कुमार रजक, पिता–षष्टीपद रजक, ग्राम–चोरकट्टा, थाना–दुमका मु0, जिला–दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
22.02.2023	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–20/2011–12 जयावाला साहा, पति–स्व0 गोपीनाथ मंडल, ग्राम–चोरकट्टा, थाना–दुमका मु0, जिला–दुमका के द्वारा दिनेश कुमार रजक, पिता–षष्टीपद रजक, ग्राम–चोरकट्टा, थाना–दुमका मु0, जिला–दुमका के विरूद्ध एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रेभेन्यू मिस केस नं0–544/98–99 में पारित आदेश दिनांक– 05.05.2000 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता को मौजा चोरकट्टा नं0 09 सरदारी सर्किल कुमड़ाबाद, थाना–दुमका मु0 के जमाबंदी नं0–81 के दाग सं0–1160, रकवा–12 डी0 जमीन से उच्छेद किया गया है। प्रस्तुत वाद में अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी का संयुक्त सुलहनामा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें वर्णित है कि अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत जमीन के बदले उसी मौजा के अपना जमाबन्दी नं0–19 में अपने अन्य परिजनों से हिस्सा में प्राप्त जमीन जिसका दाग नं0–1135 है की जमीन प्रतिवादी को बदलेन स्वरूप दे दिये है एवं दोनों पक्ष मिलकर बदलानामा दस्तावेज दिनांक– 07.09.2015 को लेख्य प्रमाणक पदाधिकारी, दुमका के समक्ष निष्पादन कर दिये है जो सूलहनामा का आधार है। दोनों पक्ष बदलेन के मुताबिक एक दुसरे के जमीन में अर्थात अपीलकर्त्ता जमाबन्दी नं0–81 के दाग नं0–1160 रकवा– 10 कट्ठा, 10 धूर में एवं प्रतिवादी जमाबन्दी नं0–19 के दाग सं0– 1135 में रकवा– 10 कट्ठा 10 धूर दखलकार है एवं दोनों पक्ष के बीच कोई विवाद नहीं है। अतः दोनों पक्षों के द्वारा समर्पित संयुक्त सुलहनामा आवेदन पत्र में वाद की कार्रवाई आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त सुलहनामा आवेदन पत्र समर्पित किया गया है जिसके आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता, दुमका अपर समाहर्त्ता, दुमका	

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2023.03.02 12:47:32 +05:30
Location: 192.168.1.124